Awareness Camp at

Chithkul

(24.7.2024)

Awareness Program held at Chitkul in Kinnuar district on 24-7-2024 by the Hon'ble Chairman of HPBOCW Welfare Board

Date: 24-07-2024

Himachal Pradesh, 24-07-2024 – Sh. Nardev Singh Kanwar, Hon'ble Chairman Himachal Pradesh Building & Other Construction Workers Welfare Board reached today at Chitkul in district Kinnaur and received grand welcome from district team headed by headed by Labour Welfare Officer of kinnaur.

Sh Kanwar was also accompanied by Smt Lalita, BDC Chairman, Aradhana Negi, BDC Member, sh. Pradeep Negi, Secretary INC, Shri Vikram sharma BOD director of HP State Civil Supplies Corporation, sh. Naresh Chauhan, ACF BOCW, and sh. Shubham Chand, pradhan of Chitkul. The awareness programme was attended by more then 85 local villagere including the beneficiaries of building and Construction welfare board.

While addressing the common people and the beneficiaries of the board, Sh. Nardev Singh Kanwar briefed the gathering about 13 different social welfare schemes being implementing by the board for its beneficiaries under the able leadership of hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh. He also urged the local

representatives Peoples of all political background to spread the awareness to these schemes of the board aiming to provide benefits to the needy and eligible construction workers engaged in construction activities.

During awareness he also laid emphasis to initiate adequate efforts to spread the awareness of vision/mission of building and other construction board and assured to provide all possible support to the beneficiaries of the board. Sh. Nardev Singh Kanwar also made one by one interaction with the common people also heard their problems and assured to resolve all the genuine issues for the interests of construction workers as it is the priorities of Hon'ble Chief minister of himachal Pradesh too to increase outreach on the genuine and eligible beneficiary sitting of last bench. He further added that has himself is on the ground to identify and resolve the common problems of construction workers. and in his short span of time working a chairman of board financial assistance around 7 crores has been transferred to the registered workers of the board.

प्रेस नोट

दिनांक: 24-07-2024

हिमाचल प्रदेश, 24-07-2024- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माननीय अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर आज किन्नौर जिले के छितकुल पहुंचे और किन्नौर के श्रम कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में जिला टीम द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।

श्री कंवर के साथ श्रीमती ललिता, बीडीसी अध्यक्ष, आराधना नेगी, बीडीसी सदस्य, श्री भी थे। प्रदीप नेगी, सचिव आईएनसी, श्री विक्रम शर्मा बीओडी निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, श्री नरेश चौहान, एसीएफ बीओसीडब्ल्यू, और श्री। -शुभम चंद, प्रधान छितकुल। जागरूकता कार्यक्रम में भवन और निर्माण कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों सहित 85 से अधिक स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया।

आम लोगों एवं बोर्ड के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए श्री. नरदेव सिंह कंवर ने सभा को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में बोर्ड द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए कार्यान्वित की जा रही 13 विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सभी राजनीतिक पृष्ठभूमि के स्थानीय प्रतिनिधियों, लोगों से निर्माण गतिविधियों में लगे जरूरतमंद और पात्र निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बोर्ड की इन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का भी आग्रह किया।

जागरूकता के दौरान उन्होंने भवन एवं अन्य निर्माण बोर्ड के दृष्टिकोण/मिशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पर्याप्त प्रयास शुरू करने पर भी जोर दिया और बोर्ड के लाभार्थियों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। नरदेव सिंह कंवर ने आम लोगों के साथ एक-एक करके बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना और निर्माण श्रमिकों के हितों के लिए सभी वास्तविक मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया क्योंकि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की भी प्राथमिकताओं में पहुंच बढ़ाना है। वास्तविक एवं पात्र लाभार्थी अंतिम बैंच पर बैठे। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण श्रमिकों की आम समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान के लिए वह खुद मैदान में हैं।

छितकुल में कामगारों को बताए कानूनी अधिकार

किन्नौर की छितकुल पंचायत में आयोजित जागरूकता शिविर में मौजूद कामगार और ग्रामीण। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

सांगला (किन्नौर)। हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर ने बुधवार को छितकुल पंचायत में एक दिवसीय जागरुकता शिविर लगाया।

शिविर की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने की। शिविर में छितकुल के 90 ग्रामवासियों ने भाग लिया। शिविर में कामगारों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया कि पंजीकृत कामगार और आश्रित बच्चों के विवाह के लिए सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस अवसर पर कल्पा विकास खंड पंचायत समिति अध्यक्ष ललिता पंचारस, सदस्य जिला परिषद अराधना देवी, नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक विक्रम शर्मा, सहायक वित्तीय नियंत्रक नरेश चौहान, पंचायत प्रधान छितकुल शुभम चंद, जिला श्रम कल्याण अधिकारी सपन जसरोटिया, एडवोकेट प्रताप नेगी सहित श्रम विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

पंजीकृत कामगार या आश्रित बच्चों के विवाह के लिए सहायता राशि में 2 लाख का प्रावधान

सवेरा ब्यूरो

रिकांगपिओ, 24 जुलाई : हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर द्वारा ग्राम पंचायत छितकुल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने की। इस जागरूकता शिविर में ग्राम पंचायत छितकुल के 90 ग्रामवासियों ने भाग लिया।

उन्होंने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन, मार्गों, सड़क, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंतरण, टेलीफोन लाइनों, संचार माध्यमों व अन्य कार्य में अपनी सेवाएं किसी भी रूप में दे रहे हैं, वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं।

नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है तथा पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में काम किया होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रतिए राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधियों की अमह भूमिका रहती है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत कामगार या आश्रित बच्चों के विवाह हेतु सहायता राशि 51000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर कल्पा विकास खंड पंचायत समिति अध्यक्षा ललीता पंचारस, सदस्या जिला परिषद अराधना देवी, विक्रम शर्मा बीओडी निदेशक नागरिक आपूर्ति निगम, नरेश चौहान सहायक वित्तीय नियंत्रक, शुभम चन्द पंचायत प्रधान छितकुल, सपन जसरोटिया जिला श्रम कल्याण अधिकारी, एडवोकेट प्रताप नेगी सहित श्रम विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

The camp at T-Dong Hydroelectric Project in Kinnaur. TRIBUNE PHOTO

Labour awareness camp at Moorang hydel project

RAMPUR, JULY 24

An awareness camp was organised by the Kinnaur Labour Welfare Department under the aegis of Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board at the T-Dong Hydroelectric Project in Moorang.

Board Chairman Nar Dev Singh Kanwar was the chief guest at the event.

Addressing the workers, Kanwar said according to the Building and Other Construction Workers Welfare Board Act, 1996, all workers who provided their services in any form in building, roads, irrigation, drainage, embankments, flood control, telephone lines, communication mediums and other works could register with the welfare board.

For registration, workers engaged in building and other construction works must be between 18 and 60 years of age, and must have worked a minimum of 90 days in the past 12 months, he added.

Workers must submit their Aadhaar card, a copy of their bank passbook, ration card, family register copy and two passport-sized photographs to the office of the District Labour Officer. Kanwar instructed Kinnaur Labour Welfare Officer Sapan Jasrotia to raise awareness among workers about the benefits available to them so that they do not miss out on the advantages provided by the state government.

He also listened to the grievances of the workers and assured them of prompt resolution. During the camp, 36 workers were provided Building and Other Construction Worker identity cards. —OC

पंजाब केसरी
THU,25 JULY 2024
EDITION: SHIMLA KESARI, PAGE NO. 2

आश्रित बच्चों के विवाह के लिए सहायता राशि 51 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की : कंवर

जागरूकता शिविर का आयोजन

रिकांगपिओ, 24 जुलाई (कुल भूषण): हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर द्वारा छितकुल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने की। इस जागरूकता शिविर में ग्राम पंचायत छितकुल के 90 ग्रामीणों ने भाग लिया।

रिकांगपिओ : जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर। (कुल भूषण)

उन्होंने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम-1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन, मार्गों, सड़क, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण, टैलीफोन लाइनों, संचार माध्यमों व अन्य कार्य में अपनी सेवाएं किसी भी रूप में दे रहे हैं, वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं। नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है तथा पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में काम किया होना अनिवार्य है।

पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम आधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा 2 पासपोर्ट फोटो श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रहीं जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधियों की अमह भूमिका रहती है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत कामगार या आश्रित बच्चों के विवाह हेतु सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।